International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 2; March 2017; Page No. 109-111

भूटान में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव (24 मार्च 2008) : एक समीक्षा

Rashmi Meena

Department of Political – Science, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

24 मार्च 2008 को भूटान के संविधान (2005) के अनुसार राष्ट्रीय संसद के लिये 47 सदस्यों का चुनाव शान्ति पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ और 25 मार्च को परिणाम की घोषणा कर दी गई। चुनाव में सिर्फ दो दल ही आमने–सामने थे। एक दल का नाम पीपुल्स डैमोक्रेटिंक पार्टी (पी.डी.पी) और दूसरा दल द्रुकफुनसम शोगपा (पी.डी.पी)। उल्लेखनीय है कि जिल समय दलीय व्यवस्था के अन्तर्गत दलों का पंजीकरण हो रहा था उस समय चार दल आमने–सामने संभावित दिखाई दे रहे थे। परन्तु या तो प्रशासनिक नीतियों के आधार पर या अन्य दो दल जिनको पंजीकरण के योग्य नही समझा गया चुनावी मैदान से हटा दिये अन्तिम रूप से केवल दो दलों का ही पंजीकरण स्वीकार किया गया। कुल मिलाकार यही समझा जाना चाहिये कि भूटान में सिर्फ दो ही दलों को ही चुनाव में उतारना व्यावहारिक दृष्टि से उचित माना गया। चुनाव परिणाम में डी.पी.डी (द्रुकफनसम शोगपा) को 45 सीटों पर विजय हासिल हुई और पी.डी.पी को सिर्फ दो सीट। कुल मिलकर चुनाव का परिणाम एक पक्षीय ही रहा। 2005 के संविधान के अनुसार भूटान ने भारत की तरह दो सदनों का प्रावधान रखा गया है। एक निचला सदन और दूसरा उच्च सदन। निचले सदन का नाम राष्ट्रीय सभा (नेशनल ऐसेम्बली) तथा उच्च सदन का नाम राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल)। चूँकि राष्ट्रीय परिषद् के चुनाव 31 दिसम्बर 2007 को ही सम्पन्न हो गये थे जिसमें 20 सदस्यों का शान्ति पूर्ण चुनाव सम्पन्न हुआ। इस सदन के सदस्यों का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया गया इसलिये आज की स्थिति को देखकर कहा जा कि अब दोनो सदनों के चुनाव का चक्र पूर्ण हो गया है और सिर्फ प्रधानमंत्री को शपथ पत्र लेना शेष है। तत्पश्चात् मंत्रिमण्डल का गठन होगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री इसी महीने शपथ करने के बाद सरकार का गठन कर लेगे। डी.पी. डी. के अध्यक्ष जिग्मे वाई थिनले भारी बहुमत से विजयी हुए है इसलिये थिनले ही प्रधानमंत्री का पद संभालेगे। थिनले 1998–99 में भी प्रधानमंत्री रहे है।

भूटान के संविधान में एक और विचित्र प्रावधान है जो भारत में नही है। प्रावधान यह है कि राष्ट्रीय परिषद् के 20 चुने हुए सदस्य किसी भी दल से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्ध नही रखेगे। इस प्रावधान का व्यावहारिक पक्ष आगे आने वाले वर्षो में ही स्पष्ट हो सकेगा। आज यह खुले रूप से कहा जा सकता है कि भूटान की 100 वर्षीय राजतंत्रीय व्यवस्था का पटाक्षेप हो गया है।

चुनाव हो जाने के पश्चात् कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से उठते है वे निम्न हैः–

1. क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे में राजमुकुट का वर्चस्व फिर भी रहेगा?
2. जिस दल को भारी बहुमत मिला है वह शाही घराने के पुराने सदस्य है। ऐसी स्थिति में क्या राजतंत्रीय व्यवस्था का भविष्य में प्रभाव कम हो जायेगा?
3. राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल) की क्या भूमिका रहेगी?
4. राष्ट्रीय सभा में प्रतिपक्ष नही के बराबर है। ऐसी स्थिति में एक दल के वर्चस्व हो जाने से स्वेच्छाचारिता का सिलसिला तो शुरू नही होगा?
5. नौकरशाही की क्या भूमिका होगी?
6. नेपाली शरणार्थियों की समस्या का समाधान न होने से लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में किस प्रकार की चुनौती संभावित है?
7. भारत–भूटान सम्बन्धों पर क्या कोई प्रभाव पड सकता है?
8. भारत–भूटान सीमा विवाद का क्या कोई हल निकल पायेगा?
9. लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत क्या भूटान चीन के साथ कूटनीतिक सदस्य स्थापित करेगा?
10. लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ सकल राष्ट्रीय सुख का दर्शन किस प्रकार चल पायेगा?

उक्त प्रश्नों के उतर सिर्फ संभावनाओं के आधार पर दिये जा सकते है?

चुनाव अभियान में शालीनता

वैसे दक्षिण एशिया में सिर्फ भूटान ही एक मात्र राष्ट्र रह गया था जहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था न होकर 100 वर्ष तक राजतंत्रीय व्यवस्था रही आई।

भूटान में पहली बार संसदीय व्यवस्था के लिये चुनाव हुए। चुनाव 24 मार्च को होने थे और परिणाम घोषित करने की तारीख 25 मार्च 2008 रखी गई। चुनावी प्रक्रिया तथा चुनावी अभियान का निरीक्षण करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि मंडल भारत तथा आस्ट्रेलिया से भी पर्यवेक्षक चुनाव का निरीक्षण करने आये हुये थे। तीनों स्थानों से पधारे पर्यवेक्षकों का मानना था कि चुनावी प्रक्रिया, चुनाव अभियान 47 सीटों के लिये उम्मीदवारों का नामांकन, नेताओं के भाषण की शैली व शालीन भाषा तथा घोषणा पत्र के अनुसार भाषणो में उल्लेख आदि सभी स्पष्ट कर रहे थे कि भूटान अन्य देशो की तुलना में एक शान्ति प्रिय देश रहा है और भविष्य में भी शान्ति और सुरक्षा के लिये उन सभी चीजों का त्याग करने के लिये तैयार है जिसके कारण लोकतंत्र के नाम पर हिंसा अशान्ति भ्रष्टाचार धन का प्रदर्शन आदि फैलता है। 20 जिलों में जहाँ जहाँ उम्मीदवारों ने भाषण दिये वे सभी राष्ट्रीय भाषा जौनखा (Dzonkha) में थे जिससे भूटान की जनता आसानी से समझ सके। जिस प्रकार भारत में प्रान्तीय नेता अधिकांश अपने भाषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते है। इसी शैली का प्रयोग भूटानी नेताओं ने किया। भूटान में तीन प्रमुख समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होते है। वे निम्न प्रकार है।

1. कुंसल (Kuensel) जिसका अर्थ है कुछ और जानना
2. भूटान टाइम्स (Bhutan Times)
3. भूटान ओब्जरवर (Bhutan Observer)

नेताओं के क्षेत्रीय भाषा में दिये गये भाषाओं के अंश उक्त तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने से सुविधा यही रही की बाहर से आये हुए लोगों को आसानी से ज्ञान हो गया कि नेताओं के क्या विचार थे। भाषाओं में अपने–अपने घोषणा पत्रों का प्रचार था तथा आम जनता को सुखी रखने की भावी योजनाओं का जिक्र।

24 तारीख को सुबह 8:00 बजे से 4:00 बजे तक मतदान हुआ। लगभग 80 प्रतिशत लोगो ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। छोटे–मोटी शिकायतों को चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने शान्तिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया।

25 तारीख 2008 को परिणाम की घोषणा की गई। परिणाम में डी.पी.टी. पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई। 47 सीटों में से 45 सीटों डी.पी.टी पार्टी को मिली और फिर्स 2 सीट पी.डी.टी. को मिली। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आई व निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है।

आम प्रतिक्रियाएः– चुनावी परिणाम ने सभी को हतप्रभ किया। इस प्रकार के परिणाम की उम्मीद कतई नही थी। प्रतिपक्ष दल पी.डी.टी. इस तरीके से धराशायी होगा ऐसा विजयी दल के नेताओं को भी कल्पना नही थी।

संसदीय प्रणाली में प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति से लोकतंत्र खतरे में पड जाता है और प्रशासन में स्वेच्छा–चारिता बढती है। परिणाम ने चिन्ता को जन्म अवश्य दिया है। विश्वसनीय प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में आम जनता में चिन्ता बढ गई है। यद्यपि प्रतिपक्ष दल पी.डी.पी. ने 33 प्रतिशत मत प्राप्त किये लेकिन फिर भी 4 प्रतिशत सीटो पर विजय प्राप्त कर पाया। यह सिर्फ प्रतीकात्मक विरोधी दल कहा जा सकता है। अगले पाँच वर्ष तक संसद में विरोधी पक्ष न होने से सुशासन पर किस प्रकार के संभावित प्रभाव पडने वाले है उसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दी ही होगा सूत्रो के अनुसार यह कहा जा रहा है उसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दी ही होगा। सूत्रों के अनुसार यह कहा जा रहा हे कि एक मात्र दल के बहुमत आ जाने से स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिये 2005 के नये संविधान में कहीं ना कहीं की प्रावधान है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल) की भूमिका ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में अहम रहेगी।

विजयी दल के अध्यक्ष वाई थिनले का कहना है कि भारी बहुमत से जीत जाना ज्यादा महत्व नही रखता। जरूरत से अधिक ख़ुशी मनाना भी न्यायाचिंत नही हो। हम खुशी के प्रदर्शन से दूर रहेगे। हमारा सर्वोपरि धर्म वही रहेगा कि जिस सूझबूझ कुशलता और दूरदर्शिता से चौथे नरेश जिग्मे सिंह वागचुक ने भविष्य के लिये मागे प्रशस्त किया है उस सपने को साकार करना है। 5वें भूटान नरेश जिग्मे खैसर नामग्याल वांगचुक का राज्याभिषेक भी हम अधिक प्रदर्शन के साथ आयोजित नही करेगे।

राष्ट्रीय परिष्द (National Council) की संभावित भूमिका

भूटान चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय सभा तथा भूटान नरेश के बीच एक कडी का काम करेगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय परिषद के सदस्य दलगत राजनीति से अलग रहेगे और न ही उनका किसी भी दल से संबंध रहेगा। अतः इस संस्था को पूर्णरूप से निष्पक्ष संस्था के रूप में देखा जा रहा है। भूटान के विद्वानो का यह भी मानना है कि यदि राष्ट्रीय सभा में विरोधी पक्ष अधिक कमजोर रहा तो राष्ट्रीय परिषद की भूमिका न केवल निर्णायक होगी अपितु प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा सकती है। इस प्रकार की संभावना इसलिये भी व्यक्त की जा रही है कि प्रतिपक्ष कमजोर होने से सत्ता पक्ष मनमानी निर्णय लेने की दिशा में बढ सकता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय परिषद की भूमिका अंकुश का काम करेगी।

संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि राजनीतिक दलों के निकटतम व्यक्ति यदि राष्ट्रीय परिषद में पहुँच गये तो ऐसी स्थिति में सत्तापक्ष उसका दुरूपयोग कर सकता है।

वर्तमान राजनीतिक वातावरण को देखकर विश्लेषको का कहना है कि राष्ट्रीय परिषद के चुनाव लोगो में अधिक उत्साह व रूचि पैदा नही कर सके। सभी का ध्यान राष्ट्रीय सभा के मंत्रिमण्डल का गठन तथा प्रधानमंत्री के चुनाव पर केन्द्रित है। ऐसा इसलिये भी है कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का सामाजिक प्रभाव नगण्य होगा तथा आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक नही है। राष्ट्रीय परिषद में आकर्षण कम होने का एक विशेष कारण यह भी है कि राष्ट्रीय परिषद का सदस्य मंत्रिमण्डल का सदस्य नही हो सकता। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सत्ता से दूर रहेगें

चुनवी विश्लेषणः– 24 मार्च 2008 का चुनावी दिन था। मौसम में गर्मी थी और सूर्य की किरणों में तेजी थी। यह दिन साल का सबसे ज्यादा शान्त दिन कहा जा सकता है। रात होते–होते सभी स्थानों पर सन्नाटा था। चुनावी परिणाम ने सभी को अचम्भे में डाल दिया। द्रुकफुनसम शोगपा (डी.पी.टी) दल को जनता ने भारी बहुमत से विजयी घोषित कर दिया था। जनता के फैसले ने विजय व पराजित लोगो को हतप्रभ कर दिया। बाहरी देशो से पधारे पर्यवेक्षको को भी अचम्भे में डाल दिया। 47 चुनावी क्षेत्रो मे से 45 सीट डी.पी.टी. को मिली और पी.डी.पी को सिर्फ 2 सीटो पर ही संतोष करना पडा। पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि मुकाबला बराबरी का रहेगा।

वैसे यदि कहा जाय तो जनता का निर्णय कोई नया नही था 2005 में जब चौथे भूटान नरेश जिग्में सिह वाग्चुक ने सभी 20 जिलों में नये संविधान की धाराओं के सन्दर्भ में जनता को समझाने का प्रयास किया था तभी जनता ने एक स्वर से अपना व्यक्तिगत निर्णय दे दिया था। जनता नही चाहती थी कि भूटान नरेश अपनी गद्दी छोड़े और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करे।

चुनावी अभियान में डी.पी.टी के अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने भूटानी जनता को संभवतः इस प्रकार से आश्वस्त कर दिया कि उनका भरोसा स्थायी सा हो गया ओर उन्होने मतदान के समय डी.पी.टी के पक्ष में बडी भावना और सर्मथन के साथ मत डाल दिये। भूटानी जनता को महसूस हुआ कि डी.पी.टी ही एक ऐसा दल है जो भूटान नरेश के दिखाये हुए मार्ग पर चल पायेगी और सकल राष्ट्रीय सुख (Gross National Happiness) के सपने को कार्यान्वित कर पायेगा। भूटानी जनता को दूसरा दल शायद इसलिये पसंद न आया हो कि इसकी विचारधारा स्पष्ट नही थी और अविश्वसनीय भी।

संभवत डी.पी.टी. के समर्थको ने संवेदनशील मुद्दों पर अधिक जोर दिया जिसके फलस्वरूप जनता ने पसंद किया। उदारण के लिये विजयी दल ने भ्रष्टाचार को सामाजिक तथा राजनीतिक रूप घोषित किया तथा उसे मिटाने के लिए वचनबद्धता व्यक्त की। भूटान की जनता ने विजयी दल से घोषणा पत्र को सम्मान देते हुए स्वच्छ सरकार देने की घोषणा को अधिक पसंद किया।

डी.पी.टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी अभियान में गरीबी को हटाने के लिये वायदा किया। विजय दल ने समानता तथा न्याय को भी लाने का वायदा किया। संभवतः भाषणों में व्यक्त किये गये वायदे काम कर गये और डी.पी.टी. को भारी बहुमत

मिला। दूसरी पी.डी.पी. ने कुछ त्रुटियों की उसकी भी जानकारी देना आवश्यक है। भूटान के प्रकाशित साहित्य से मालूम हुआ कि डी.पी.डी. ने संभवत अपने चुनावी अभियान व भाषणों में कुछ इस प्रकार की अभिव्यक्ति दी होगी जिससें जनता को यह लगा कि यह दल राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये कटिबद्ध है।

पी.डी.पी. ने संभवत एक अन्य गलती और की जिसमें उसका अटूट विश्वास तथा भरोसा था। पी.डी.पी. ने ग्रामीण जनता तथा उनके मतो पर अधिक निर्भरता रखी जो मतदान के समय प्रतिकूल सिद्ध हुई।

पी.डी.पी. को आंशिक समर्थन की अपेक्षा व्यापारी वर्ग से थी और उनसे समर्थन मिला भी परन्तु व्यापारी वर्ग की संख्या इतनी अधिक नही थी जो विजय की और बढा पाती ।

पी.डी.पी को जनता ने जिस दृष्टि से समझा वह यही था कि यह दल कुछ प्रगतिशील तथा अतिआधुनिकता का पक्षधर है। जबकि डी.पी.डी. के बारे में जो आम जनता की एक स्वर से राय बनी यह थी की यह दल भूटान की प्राचीन परम्पराओं संस्कृति आस्थाओं को आधुनिकरण की प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने वाली पार्टी है यही संतुलित दृष्टिकोण भूटान की जनता को भा गया और विजय बनाया।

निकट भविष्य में अन्य लोकतांत्रिक संस्थाए यथा राष्ट्रीय परिषद न्यायालय तथा मीडिया साथ में सिविल सोसाइटी को और अधिक सतर्क रहना होगा जिससे विश्व की सबसे छोटे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सींच कर सफल बनाये।

चुनाव अभियान में मीडिया (Media) की उदासीन भूमिका

भूटान के प्रकाशित सामाचार पत्रों ने बडी निराशा व्यक्त करते हुए लिखा है कि मीडिया (Media) की चुनाव अभियान में भूमिका उदासीनता की ही नजर आई। मीडिया भूटान के मतदाताओं को चुनाव पद्धति तथा प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षित करने में पूर्णतया असमर्थ रहा। समाचार पत्रों ने प्रसारित करने वाली मीडिया तथा प्रिन्ट मीडिया दोनो पर आरोप लगाया है कि चुनाव के बारे में समाचार पर्याप्त रूप से जनता तक पहुँच ही नही पाये और जनता अनभिज्ञ रही । यहाँ तक वरिष्ठ नौकरशाही भी मीडिया से यह पूछते हुये देखे गये ''आपको किससे भय'' है।

निष्कर्ष

भूटान की संसदात्मक प्रणाली का भविष्य में व्यावहारिक पक्ष किस रूप में उभर कर आयेगा यह तो अभी स्पष्ट रूप से नही कहा जा सकता परन्तु जो कुछ भी चुनावी परिदृश्य में दिखाई दिया उस पर आंशिक रूप से संभावनाए व्यक्त अवश्य की जा सकती है।

भूटान की शताब्दियों से यही विवशता रही है। भूटान में सही दृष्टि से लोकतंत्र तभी आयेगा जब राजघराने का शिक्षित युवावर्ग तथा आम जनता शिक्षित वर्ग, चुनाव में आमने–सामने होगा। अभी भूटान में राजनीकि चेतना और जानकारी शून्य के बराबर है। उदारहरण के लिये, चुनावी अभियान में जब उम्मीदवारों ने जनता के सामने अपने–अपने परिचय दिये तो उनका सही कहना थ कि तो सिर्फ राजा के अलावा किसी को भी नही पहचानते ।

कुल मिलकार आज के भूटान में लोकतांत्रिक स्वरूप अस्थायी है। ज्यों–ज्यों लोगो में जागरूकता बढेगी लोकतंत्र का स्वरूप भी उत्तरोत्तर बदलता जायेगा। निंसदेह, भूटान की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस प्रकृति पर बनने जा रही है उसको देखकर किसी को भी आश्चर्य नही करना चाहिये अभी उनका शैशव काल है। भविष्य में धीरे–धीरे परिपक्वता आने की उम्मीद है भूटानी समाज में शिक्षा की वृद्धि के साथ राजनीतिक जागरूकता अपनी गति से ही आयेगी। किसी को भी निराश होने की आवयश्कता नही। भूटान से अधिक उम्मीद रखने वाले वे ही हो सकते है जो वह चाहते है कि लोकतंत्र का चरित्र पाश्चात्य पद्धति के अनुसार हो फिलहाल अभी संभव नही है। भूटान को भूटानी समाज की आंखो से देखने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यही है कि भूटान में ''लोकतंत्र विकासात्मक पद्धति से आया न कि किसी क्रान्ति'' से। यही भूटान की विशिष्टता है।

सन्दर्भ सूची

1. आर.सी. मिश्रा – भूटान इन साउथ एशिया (आविष्कार प्रकाशन, जयपुर 1996)
2. सयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद –विजिट टू भूटान
3. यूनाइटेड नेशंस डवलपमेट प्रोग्राम (UNDP) हयूमन डवलपमेंट रिपोर्ट – 1993 (न्यूयार्क UNDP 1993)
4. विश्व बैंक भूटान – डवलपमेंट इन ए हिमालयन किंगडम (वाशिंगटन डी.सी – विश्व बैंक 1983)
5. भूटान राष्ट्रीय सरकार – योजना आयोग – 7वी पंचवर्शी योजना, सन 1992–1997 अंक प्रदम मुख्य योजना दस्तावेज (थिम्फू योजना आयोग, दिसम्बर 1991)
6. भूटान का 2005 का नया संविधान – एक दस्तावेज
7. कुंसल (Kuensel) –भूटान से प्रकाशित साप्ताहिकी
8. भूटान टाइम्स – भूटान से प्रकाशित समाचार पत्र
9. भूटान ऑवजरवर (Bhutan Observor) – भूटान से प्रकाशित समाचार पत्र